In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Shamaun s/o Sh. Gulab Deen, aged 34 years, resident of Village Ugrasan, P.O. Sarahan, Tehsil & District Chamba (H. P).

and

Jareena d/o Mohd. Shareef, aged 32 years, resident of Village Sangera, P.O. Sahoo, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.)

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special of Marriage Act, 1954.

Whereas, the abovenamed applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 10-04-2015 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 26-04-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 27th March, 2024.

Seal.

(ARUN KUMAR SHARMA, HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हि०प्र०

श्रीमती स्वर्णा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार पुत्र चूहडा, निवासी भगुडी, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा ईश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम स्वर्णा देवी है। उनका नाम ग्राम पंचायत पधरोटू, आधार कार्ड में मेरा नाम स्वर्णा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार दर्ज है जोकि सही है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल द्रबड, पटवार वृत्त भटोली में उनका नाम स्वणी देवी पत्नी रमेश कुमार पुत्र चूहडा दर्ज है जोकि गलत है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30–04–2024 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हि०प्र०।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chamba, District Chamba (H. P.)

Saber Ali Shah s/o Sh. Mohd. Saleem, near Nar Singh Mandir, Mohalla Sapri, Chamba Town, Tehsil & District Chamba (H. P.).

and

Rajina Begum d/o Sh. Hanif Mohd., resident of Village Thakoli, , Tehsil Sihunta, District Chamba (H. P.) .

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the abovenamed applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 19-04-2019 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 30-04-2024 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 30th day of March, 2024.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

ईशा छेत्री पुत्री मोहिन्द्र सिंह छेत्री, निवासी गांव व डाकघर ककीरा, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . .प्रत्यार्थीगण।

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ईशा छेत्री पुत्री मोहिन्द्र सिंह छेत्री, निवासी गांव व डाकघर ककीरा, उप—तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम ईशा छेत्री है तथा उसके पिता का सही नाम श्री मोहिन्द्र सिंह छेत्री है, जोिक ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के रिकार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा कस्बा व ककीरा जरेई, पटवार वृत्त ककीरा में गलती से क्रमशः ईशा व महिंद्र सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजिरया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया व उसके पिता के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27—04—2024 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
